"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी 2017— फाल्गुन 6 , शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-2/2011/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 14 के उप-नियम (1) में, शब्द "धार्मिक पब्लिक ट्रस्ट" के पश्चात् एवं शब्द "शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था के लिये" के पूर्व, चिन्ह, शब्द एवं कोष्टक "कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 18) की धारा 8 के अधीन निगमित कम्पनी" अन्त:स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 7-2/2011/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 25th February 2017

NOTIFICATION

No. F 7-2/2011/32.— In exercise the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nager Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Vishesh Kshetra (Achal Sampatti Ka Vyayan) Niyam, 2008, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In sub-rule (1) of Rule 14, after the words and punctuation "Educational, Medical, Religious, Social or for Charitable trust" and before the words "constituted for charitable purpose", the punctuation, words and parenthesis "Companies incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013)" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.